न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र प्र.सं. 83/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/169 तेजकौर बनाम उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर आदि अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम
25.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। वकील प्रार्थी को आवाजें लगाई गयी अनुपस्थित है स्वयं प्रार्थी भी हाजिर नहीं है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 2 से 6 की नोटिस तामील क्रमशः पुत्र, भाई, पत्नी, स्वयं व स्वयं पर हो चुकी है। अप्रार्थीगण को आवाजें लगाई गयी। नोटिस तामील के बाद भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित है, लिहाजा अप्रार्थी सं. 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 2 से 6 अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उक्त वाद पत्र तथा विविध प्रकरण का फैसला प्रार्थीया के विरूद्ध करवाने का दबाव डाल दिया है, अप्रार्थी आगामी पेशी 12.09.2024 से पूर्व प्रकरण में फैंसला अपने हक में करवा लेंगे। पीठासीन अधिकारी लिंक अधिकारी रायसिंहनगर है अप्रार्थी सं. 2 ता 6 न्यायालय परिसर में लिंक पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर मिलते है, वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 1 उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/विविध/ 3452 दिनांक 19.09.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण न्यायिक प्रवृति का होने के कारण न्यायालय द्वारा पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावेगा। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मध्य नजर रखते हुए प्रकरण अगर अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2024 को पेश किया गया है और दिनांक 12.09.2024 को नवपदस्थापित उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र वर्तमान पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रभावशून्य हो गया है और पोषणीय नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)